

कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

विविध आदेश

क्रमांक 175/एक-11-1/कार्य.वि.प./2019

ग्वालियर, दिनांक : 14/08/2025

मैं, **ललित किशोर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.)** सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 (7), 214, 422 (2), 449 (1) (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 10(2), 194, 381 (2) और धारा 408) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिक्रमित (सुपरसीड) करते हुए, सिविल जिला ग्वालियर में पदस्थ समस्त न्यायाधीशों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्य एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दण्डिक कार्य का वितरण/विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार घोषित करता हूँ। यह आदेश दिनांक **18.08.2025** से प्रभावशील होगा, परन्तु इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास लंबित है या प्रस्तुत हुए हैं, उन पर न्यायिक/प्रशासकीय आदेश से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स. क्र.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु. क.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है।
1	2	3	4	5
1.	सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री ललित किशोर)	सत्रखण्ड ग्वालियर के अंतर्गत उत्पन्न	1.	विशेष सत्र न्यायाधीशों के द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले सत्र मामलों को छोड़कर समस्त सत्र प्रकरण।
			2.	समस्त आपराधिक अपील।
			3.	समस्त आपराधिक पुनरीक्षण।
			4.	न्यायिक जिला मुख्यालय, ग्वालियर पर उद्भूत अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन (विशेष/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SC/ST (POA) Act, NDPS Act, PC Act, POCSO Act, Electricity Act, Dacoity Act से संबंधित सीधे संज्ञान में लिये जाने वाले एवं ऐसे विशेष मामलों में प्रस्तुत होने वाले अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन को छोड़कर)
			5.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 449 एवं 450 (<u>द.प्र.सं. की धारा 408 एवं 409</u>) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।
			6.	मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकाएँ। (अधिसूचना भोपाल, दिनांक 09.09.1996 के अंतर्गत)
			7.	भारतीय सती (प्रतिषेध) अधिनियम से संबंधित मामले।
			8.	विचाराधीन मामलों से संबंधित विविध आवेदन।
			9.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 01.05.2010 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन क्रमांक ए/1416 दिनांक 02.06.2010 के अनुसार औषधि और प्रशासन सामग्री अधिनियम

			1940 के अंतर्गत धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28 क, धारा 28 ख तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध से संबंधित मामले। 10. विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 08.12.2017 दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन प्रस्तुत होने वाले मामले। 11. किसी अधिनियम, नियम, अधिसूचना द्वारा या राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष न्यायालय के रूप में सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया हो तो तत्संबंधी समस्त विशेष मामले। 12. अन्य समस्त ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में पृथक से नहीं है। 13. ग्राम न्यायाधिकारी, ग्वालियर/डबरा द्वारा निराकृत मामलों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें और संबंधित विविध कार्यवाहियाँ। 14. पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ।
1 (अ).	प्रधान जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर (श्री ललित किशोर)	मुख्यालय ग्वालियर के अंतर्गत उत्पन्न	1. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृ.क. बी/6235/तीन-6-5/2018, जबलपुर दिनांक 23.12.2022 के संलग्न मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना फा. क्रमांक 4779/2022/इक्कीस-ब (एक)/2022 दिनांक 15.12.2022 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा 20 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को सिविल जिला ग्वालियर की स्थानीय सीमाओं के क्षेत्र के संबंध में अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण। 2. रु. 15,00,00,001/- (पन्द्रह करोड़ एक रु.) से अधिक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 3. भू अर्जन अधिनियम 1894 के अंतर्गत प्रस्तुत रिफरेंस प्रकरण व उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 4. म.प्र. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियाँ। 5. म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 6. धारा 20 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन चुनाव याचिकाएं। 7. नियम 42 छावनी अधिनियम के अधीन चुनाव याचिकाएं। 8. धारा 441 म.प्र. नगरपालिका निगम 1956 के अधीन चुनाव याचिकाएं।

			9. धारा 9 अशक्त व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियाँ। 10. भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी, ग्वालियर के द्वारा पारित निर्णय व आदेशों से उत्पन्न नियमित तथा विविध अपीलें। 11. ग्राम न्यायाधिकारी, ग्वालियर द्वारा निराकृत मामलों से उत्पन्न व्यवहार अपीलें और संबंधित विविध कार्यवाहियाँ। 12. धारा 24 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन। 13. पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ। 14. जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड के द्वारा ऐसे मामलों में पारित निर्णय एवं आदेश जिनमें शासन या नगर पालिका या विकास प्राधिकरण आदि अन्य शासकीय संस्थान सक्रिय पक्षकार रहे हों एवं उनके विरुद्ध सहायता चाही गई हो, से संबंधित समस्त अपीलें तथा समस्त प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की अपीलें। 15. लोकल फण्ड ऑडिट अधिनियम 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 16. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें, पुनरीक्षण तथा आवेदन पत्र। 17. धारा 68 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश/निर्णय से उद्भूत समस्त नियमित सिविल अपीलें। 18. इन्श्योरेन्स अधिनियम 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 19. लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य से बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 9 से संबंधित मामले। 20. ऐसे समस्त प्रकरण जिनका इस कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र उल्लेख नहीं है।
2.	विशेष न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम) ग्वालियर (श्री ऋतुराज सिंह चौहान):	सम्पूर्ण ग्वालियर सत्र खण्ड से उत्पन्न	1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन समस्त विशेष प्रकरण व उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियाँ तथा अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन तथा अन्य प्रतिभूति आवेदन पत्र। (माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर के मैमो क्रमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार उन मामलों को छोड़कर जो POCSO Act, 2012 एवं SC/ST (POA) Act, 1989 दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध हैं) 2. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर पृष्ठांकन क्रमांक B/128 (Dacoity/SC/ST)/III-6-4/81 जबलपुर दिनांक 08.01.2019 के साथ प्राप्त मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

			अधिसूचना भोपाल दिनांक 03.01.2019 फा.क. 1-7/81/21-ब(एक)6009/2018 मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत मामले। 3. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 4. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
2 (अ).	विशेष न्यायाधीश (श्री ऋतुराज सिंह चौहान)	मुख्यालय गवालियर के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न	
3.	प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश गवालियर (श्री साबिर अहमद खान)	सम्पूर्ण गवालियर सत्र खण्ड के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न	1. म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना दिनांक 05.05.2009/02.05.2013 के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू) तथा विशेष पुलिस स्थापना (लोकयुक्त) गवालियर द्वारा प्रस्तुत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रकरण व कार्यवाहियाँ तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत, अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण व कार्यवाहियाँ। (विशेष न्यायालय क्रमांक 01 एवं 02 की क्षेत्राधिकारिता को छोड़कर) 3. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 4. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
3 (अ).	प्रथम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गवालियर (श्री साबिर अहमद खान)	मुख्यालय गवालियर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 2. पूर्व में निराकृत क्लेम से संबंधित मामलों एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ गवालियर से प्राप्त होने वाले आदेशों से संबंधित अग्रिम एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त क्लेम प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियाँ।
4.	द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश गवालियर (श्री रूपेश नायक)	गवालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र.उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रं ए/2830/तीन-6-4/81 जबलपुर, दिनांक 10.04.2024 के अनुसार म.प्र. डकैती तथा व्यपहरण क्षेत्र प्रभावित अधिनियम 1981 के अंतर्गत गवालियर सत्र खण्ड के अधीन पुलिस थाना मुरार, झांसीरोड, कम्पू, जनकगंज, गोले का मंदिर, बहोड़ापुर, महिला थाना पड़ाव, जी.आर.पी. (बी.जी. एण्ड एन.जी.) आर.पी.एफ. के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण व कार्यवाहियाँ तथा अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। उक्त अधिनियम के उपरोक्त थाना क्षेत्रों के निराकृत प्रकरणों में फरारी से उपस्थित होने वाले अरोपीगण के प्रतिभूति आवेदन पत्रों का निराकरण व वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले ऐसे समस्त प्रकरणों में निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही का

			संपादन। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
4 (अ).	द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री रूपेश नायक)	मुख्यालय ग्वालियर	1. मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना भोपाल दिनांक 24.01.2020 फा.क्रमांक 17(ई) 2/2020/21-ब(एक)/65/ 2020 के अनुसार The Banning of Unregulated Scheme Act 2019 से संबंधित मामले एवं विविध कार्यवाहियाँ। 2. लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले रुपये 501/- से 1000/- तक की सीमा के लघुवाद तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (रिक्त न्यायालय) द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें। (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 4. भारतीय ट्रस्ट अधि. 1982 की धारा 72 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मामले। 5. दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मामले। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 7. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
5.	तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री देवेश उपाध्याय)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र.उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक-सी/1855/तीन-6-3/18 जबलपुर दिनांक 01.03.2025 के द्वारा ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी के क्षेत्राधिकार से मध्यप्रदेश राज्य के आसीन एवं पूर्ववर्ती सांसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध उत्पन्न :- • प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ • व्यापम स्कैम प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गयी हो • विद्युत अधिनियम 2003 • एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 से संबंधित मामलों एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ तथा उक्त समस्त से संबंधित अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. रजिस्ट्री जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक सी/4043 दिनांक 23.05.2025 एवं मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक-फा.क्र./2195/21-ब(एक)/2025 दिनांक

			22.05.2025 के द्वारा ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी के क्षेत्राधिकार से मध्यप्रदेश राज्य के सांसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध उत्पन्न :- • भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 • मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 से संबंधित मामलों एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ तथा उक्त समस्त से संबंधित अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 3. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 4. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
5 (अ).	तृतीय जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री देवेश उपाध्याय)	मुख्यालय ग्वालियर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र उटीला, मुरार से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 3. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2015 से संबंधित मामले। 4. माह जनवरी में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
6.	चतुर्थ अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री सुरेश सिंह जमरा)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2857 (एस.टी.एफ.) तीन-6-5/14 जबलपुर, दिनांक 24.04.2025 के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल द्वारा अनुसंधान में लिये गये जिला ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ तथा अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले।

			3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
6 (अ).	चतुर्थ जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री सुरेश सिंह जामरा)	मुख्यालय ग्वालियर	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र पुरानी छावनी, हस्तिनापुर से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 3. हिन्दू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1956, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से संबंधित मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाही एवं निष्पादन मामले (नगर निगम ग्वालियर की परिसीमा तथा छावनी केन्टोनमेन्ट क्षेत्र एवं कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोड़कर)। भरण पोषण एवं दत्तक अधिनियम 1956 से संबंधित सभी दावे। (तहसील डबरा तथा भितरवार क्षेत्र के प्रकरणों को छोड़कर) 4. माह फरवरी में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
7.	पंचम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री अशोक कुमार त्रिपाठी)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 2. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
7 (अ).	पंचम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री अशोक कुमार त्रिपाठी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रु. 5,00,00,001/- (पांच करोड़ एक) से रु. 7,00,00,000/- (सात करोड़) तक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 3. आरक्षी केन्द्र घाटीगांव, पनिहार से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण

			तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. माह मार्च में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
8.	षष्ठम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री विवेक कुमार)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र.उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन क्रमांक-ए/2855 जबलपुर, दिनांक 24.04.2025 के द्वारा सायबर एण्ड हाई टेक्निक काईम पुलिस थाना भोपाल (जोन ग्वालियर, जिले - अशोकनगर, भिण्ड, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, मुरैना, पन्ना, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
8. (अ).	षष्ठम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री विवेक कुमार)	मुख्यालय ग्वालियर	1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर एवं षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र भंवरपुरा, तिघरा से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 3. खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी मामले। 4. माह अप्रैल में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।

9.	सप्तम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्रीमती सिद्धि मिश्रा)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2837 (ओ.ए.डब्ल्यू) तीन-6-6/84-दो (in addition to CSS Scheme) जबलपुर, दिनांक 24.04.2025 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध रजिस्ट्री, जबलपुर के ज्ञापन क्र. सी/ 633 दिनांक 18.02.21 में दिये गये अपराधों [जैसे -Rape, Attempt to commit rape, Kidnapping and abduction of women, Dowry Death, Assault of women with intent to outrage the modesty, Insult to the modesty of women, Cruelty by husband or his relative, Importation of girl from foreign country, Abatement of suicides of women (arising out of matrimonial harassment), Dowry Prohibition Act 1961, Indecent representation of women Prohibition Act 1986, Commission of Sati Prohibition Act 1987, Protection of women from Domestic Violence Act, Immoral Traffic Prevention Act, Like other offences that have been declared in State Legislatures/Amendments in Central Act] से संबंधित आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय, घाटीगांव, पुरानी छावनी, हजीरा, मोहना, उटीला, आरोन, हस्तिनापुर, गिरवाई, भंवरपुरा, पनिहार, बिजौली, सिरोल से उद्भूत अपराध से संबंधित सभी मामले एवं संबंधित विविध कार्यवाहियाँ तथा अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
9 (अ).	सप्तम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्रीमती सिद्धि मिश्रा)	मुख्यालय ग्वालियर	
10.	अष्टम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री विशाल अखंड)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र.उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक-ए/2834/तीन-6-5/14 जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के अनुसार म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं, जिनकी विवेचना सीबीआई, स्पेशल टास्क फोर्स, स्थानीय पुलिस थानों द्वारा की जा रही हो, से संबंधित प्रकरण/विविध कार्यवाहियाँ एवं उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ जो कि ग्वालियर, टीकमगढ़, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर से उद्भूत आपराधिक कार्यवाहियाँ तथा अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।

10 (अ)	अष्टम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री विशाल अखंड)	मुख्यालय ग्वालियर	1. पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर, सप्तम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर एवं चौबीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलों (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, गोले का मंदिर से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 3. भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादरिक्ता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 एवं 65 के अंतर्गत रेफरेंस/कलेक्टर स्टेटमेंट्स से संबंधित प्रकरण। (As per notification of dated 08.09.2016 and thereafter clarified by Hon'ble High Court by Memorandum No. 67/PR(J)/2018 Jabalpur, Dated 03.05.2018) 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 5. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
11.	नवम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री आत्माराम टांक)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. भारत का राजपत्र असाधारण भाग-द्वितीय-खण्ड-3-उपखण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित संख्या 3195 नई दिल्ली बृहस्पतिवार 16 अगस्त, 2018 के संबंध में म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर का Endt. No. सी/1819/तीन-6-6/15 दिनांक 15.04.2019 के द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली 16.08.2018 का.आ. 3997(अ) - केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1922 (1992 का 15) की धारा 26क प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के तहत सुनवाई किये जाने वाले विशेष मामलों से संबंधित कार्यवाहियाँ। 2. म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. 1-3-2004/4823/2019/21-ब(एक) दिनांक 14.10.19 के परिप्रेक्ष्य में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश नामित। 3. म.प्र. उच्च न्यायालय के मेमोरेण्डम क्र. बी/1625/तीन-6-6/2014 दिनांक 11.03.19 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध। 4. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 5. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।

11 (अ).	नवम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री आत्माराम टांक)	मुख्यालय ग्वालियर	1. षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर एवं अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र बिजौली, सिरौल से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 3. चेरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 4. उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (भाग) (10) के अधीन दिये गये आदेशों के विरुद्ध अपीलें। 5. माह मई में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 7. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
12.	एकादशम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री तरुण सिंह)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक—A/2085/(Exclusive POC SO)/III-6-5/2010/ (FTSCS) C.S.S. जबलपुर दिनांक 22.04.2023 के अनुसार पौक्सो एक्ट 2012 से संबंधित आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय, घाटीगांव, पुरानी छावनी, हजीरा, मोहना, उटीला, आरोन, हस्तिनापुर, गिरवई, भंवरपुरा, पनिहार, बिजौली, सिरौल एवं ऐसे अन्य थाने जो त्रयोदशम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को न दिये गये हों से उद्भूत अपराध से संबंधित सभी मामले एवं संबंधित विविध कार्यवाहियाँ। 2. वे सभी मामले जो आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय, घाटीगांव, पुरानी छावनी, हजीरा, मोहना, उटीला, आरोन, हस्तिनापुर, गिरवई, भंवरपुरा, पनिहार, बिजौली, सिरौल एवं ऐसे अन्य थाने जो त्रयोदशम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को न दिये गये हों, तहसील भितरवार के आरक्षी केन्द्र चिनीर, भितरवार, करहिया, बेलगढ़ा एवं तहसील डबरा का आरक्षी केन्द्र गिजोरा से उद्भूत माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर के मैमो क्रमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार जो POC SO Act, 2012 एवं SC/ST (POA) Act दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध हैं। 3. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 4. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।

12 (अ).	एकादशम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर (श्री तरुण सिंह)	मुख्यालय ग्वालियर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 2. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
13.	द्वादशम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री अनुज कुमार मित्तल)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 2. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
13 (अ).	द्वादशम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर (श्री अनुज कुमार मित्तल)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रु. 13,00,00,001/- (तेरह करोड़ एक) से रु. 15,00,00,000/- (पंद्रह करोड़) तक के वाद मुल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. सप्तम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर, नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं तेईसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलों (कडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 3. आरक्षी केन्द्र आरौन, कम्पू से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. माह जून में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
14.	त्रयोदशम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक- <u>A/2842 (Exclusive POC SO)/III-6-5/2010/(FTSCs) c.s.s.जबलपुर</u> दिनांक 10.04.2024 के अनुसार पॉक्सो एक्ट 2012 से संबंधित आरक्षी केन्द्र इंदरगंज, जनकगंज, पड़ाव, कोतवाली, गोले का मंदिर, मुरार, बहोड़ापुर, थाटीपुर, झासी रोड़, माधौगंज, महिला थाना पड़ाव, बेहट, ग्वालियर, तिघरा, कम्पू एवं महाराजपुरा से उद्भूत अपराध से संबंधित सभी मामले एवं संबंधित विविध कार्यवाहियाँ। 2. वे सभी मामले जो आरक्षी केन्द्र इंदरगंज, जनकगंज, पड़ाव, कोतवाली, गोले का मंदिर, मुरार, बहोड़ापुर, थाटीपुर, झासी रोड़, माधौगंज, महिला थाना पड़ाव, बेहट, ग्वालियर, तिघरा, कम्पू एवं महाराजपुरा एवं तहसील डबरा के आरक्षी केन्द्र डबरा ग्रामीण,

			डबरा सिटी, पिछौर, आंतरी, बिलौआ से उद्भूत माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर के मैमो क्रमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार जो POCSO Act, 2012 एवं SC/ST (POA) Act दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध हैं। 3. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 4. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
14 (अ).	त्रयोदशम् जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)	मुख्यालय ग्वालियर	
15.	पन्द्रहवे अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री कपिल सोनी)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पत्र क्रमांक ए/272 तीन-6-4/57-42 जबलपुर, दिनांक 24.01.2025 एवं म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 229/इक्कीस-ब (एक)/2025, दिनांक 24.01.2025 मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) के नियम 8 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय क2, ग्वालियर जिसके तहत राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना एवं अशोक नगर का समाविष्ट क्षेत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
15 (अ).	पन्द्रहवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर (श्री कपिल सोनी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं चतुर्थदशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र इंदरगंज, गिरवई से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 3. माह जुलाई में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 4. कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों को छोड़कर, प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, की धारा 264 से 302 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियाँ एवं गार्जियन एवं वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने

			वाले सभी प्रकरण तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दत्तक ग्रहण- किये जाने संबंधी मामले एवं दत्तक अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
16.	सोलहवे अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री अरविन्द दरिया)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र. उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्र. ए/2830/तीन-6-4/81 जबलपुर, दिनांक 10.04.2024 के अनुसार म.प्र. डकैती तथा व्यपहरण क्षेत्र प्रभावित अधिनियम 1981 के अंतर्गत ग्वालियर सत्र खण्ड के अधीन पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना, पुरानी छावनी, तिघरा, पनिहार, बेहट, बिजौली, भंवरपुरा, महाराजपुरा, हस्तिनापुर, आरोन, उटीला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा धारा 438 व 439 द.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
16 (अ).	सोलहवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री अरविन्द दरिया)	मुख्यालय ग्वालियर	1. दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं पंद्रहवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र झांसी रोड़, थाटीपुर से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 3. माह अगस्त में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 5. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
17.	सत्रहवे अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री रवि शंकर दोहरे)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 2. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।

17 (अ).	सत्रहवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री रवि शंकर दोहरे)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रु. 1,00,00,001/- (एक करोड़ एक) से रु. 3,00,00,000/- (तीन करोड़) तक के बाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. एकादशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर, सोलहवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं पच्चीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 3. आरक्षी केन्द्र बहोड़ापुर, माधीगंज से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. माह सितम्बर में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
18.	अठारहवे अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री धीरज कुमार)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 2. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
18 (अ).	अठारहवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री धीरज कुमार)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रु. 3,00,00,001/- (तीन करोड़ एक) से रु. 5,00,00,000/- (पांच करोड़) तक के बाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. द्वादशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर, सत्रहवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 3. आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय (केवल आहत मामले) एवं ऐसे आरक्षी केन्द्र जिनका उल्लेख इस कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं है, से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. माह अक्टूबर में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307

			के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
19.	उन्नीसवे अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 2. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले
19 (अ).	उन्नीसवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रु. 7,00,00,001/- (सात करोड़ एक) से रु. 10,00,00,000/- (दस करोड़) तक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. त्रयोदशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर, अठारहवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 3. आरक्षी केन्द्र महाराजपुरा, पड़ाव से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. माह नवम्बर में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
20.	बीसवे अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री प्रशांत शुक्ला)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 2. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
20 (अ).	बीसवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री प्रशांत शुक्ला)	मुख्यालय ग्वालियर	1. मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना भोपाल दिनांक 27.06.2025 फा.क्रमांक 2730/21-ब(एक) / 2025 कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 (2016 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन जिला न्यायाधीश स्तर पर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन राजस्व जिला ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, राजगढ़, अशोक नगर के अंतर्गत आने वाले

			जिलों के लिए वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामूली आरंभिक सिविल आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन मामलों के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त। 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर, पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं उन्नीसवें व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 3. आरबिट्रेशन तथा कॉंसिलियेशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण सहित सभी मामले। 4. कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले। 5. ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले। 6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 7. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
21.	इक्कीसवें अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री नवनीत कुमार वालिया)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1 उच्च न्यायालय मं.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2841 (एन.डी.पी.एस) तीन-6-3/89 जबलपुर, दिनांक 24.04.2025 के अनुसार स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम 1985 के अंतर्गत ग्वालियर सत्र खण्ड के अधिकार में उत्पन्न सभी प्रकरण व कार्यवाहियाँ एवं उनसे संबंधित अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
21 (अ).	इक्कीसवें जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री नवनीत कुमार वालिया)	मुख्यालय ग्वालियर	1. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर (रिक्त न्यायालय) द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें। (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।

22.	बाइसवे अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री आशीष दवांडे)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक सी/4164 तीन-6-4/57 जबलपुर, दिनांक 16.06.2025 एवं म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 2559/इक्कीस-ब(एक)/2025, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) के नियम 8 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, म.प्र. उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17ई 8-2012/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 02 मार्च, 2012, जो म.प्र. राज्यपत्र भाग-एक, दिनांक 30 मार्च 2012 को प्रकाशित हुई थी में संशोधन करते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय क.1, ग्वालियर जिसके तहत राजस्व जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड एवं दतिया का समाविष्ट क्षेत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
22 (अ).	बाइसवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री आशीष दवांडे)	मुख्यालय ग्वालियर	1. सोलहवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं बीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय (केवल मृत्यु मामले), बेहट से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
23.	तेईसवे अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर (श्री गौतम भट्ट)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 2. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
23 (अ).	तेईसवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री गौतम भट्ट)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रु. 10,00,00,001/- (दस करोड़ एक) से रु. 13,00,00,000/- (तेरह करोड़) तक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर के अतिरिक्त न्यायाधीश, द्वादशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं इक्कीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड

			ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 3. आरक्षी केन्द्र जनकगंज, ग्वालियर से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. माह दिसम्बर में म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 5. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 6. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
24.	चौबीसवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (श्री केशव सिंह)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2837 (ओ.ए.डब्ल्यू) तीन-6-6/84-दा (in addition to CSS Scheme) जबलपुर, दिनांक 24.04.2025 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध रजिस्ट्री, जबलपुर के ज्ञापन क्र. सी/ 633 दिनांक 18.02.21 में दिये गये अपराधों [जैसे -Rape, Attempt to commit rape, Kidnapping and abduction of women, Dowry Death, Assault of women with intend to outrage the modesty, Insult to the modesty of women, Cruelty by husband or his relative, Importation of girl from foreign country, Abatement of suicides of women (arising out of matrimonial harassment), Dowry Probation Act 1961, Indecent representation of women Prohibition Act 1986, Commission of Sati Prohibition Act 1987, Protection of women from Domestic Violence Act, Immoral Traffic Prevention Act, Like other offences that have been declared in State Legislatures/Amendments in Central Act] से संबंधित आरक्षी केन्द्र इंदरगंज, जनकगंज, पड़ाव, कोतवाली, गोले का मंदिर, मुरार, बहोड़ापुर, थाटीपुर, झांसी रोड़, माधौगंज, महिला थाना पड़ाव, बेहट, ग्वालियर, तिघरा, कम्पू, महाराजपुरा एवं ऐसे अन्य थाने जो सप्तम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को न दिये गये हों से उद्भूत अपराध से संबंधित सभी मामले एवं संबंधित विविध कार्यवाहियाँ तथा अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
24 (अ).	चौबीसवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री केशव सिंह)	मुख्यालय ग्वालियर	

25.	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री सुनील डण्डैतिया)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. म.प्र. उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्र. ए/2861/तीन-6-4/81 जबलपुर, दिनांक 24.04.2025 के अनुसार म.प्र. डकैती तथा व्यपहरण क्षेत्र प्रभावित अधिनियम 1981 के अंतर्गत ग्वालियर सत्र खण्ड के अधीन पुलिस थाना मुरार, झांसीरोड, कम्पू, जनकगंज, गोले का मंदिर, बहोडापुर, महिला थाना पड़ाव, जी.आर.पी. (बी.जी. एण्ड एन.जी.) आर.पी.एफ., घाटीगांव, मोहना, पुरानी छावनी, तिघरा, पनिहार, बेहट, बिजौली, भंवरपुरा, महाराजपुरा, हस्तिनापुर, आरोन, उटीला से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर शेष ग्वालियर सेशन खण्ड के समस्त क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
25 (अ).	प्रथम जिला न्यायाधीश ग्वालियर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर (श्री सुनील डण्डैतिया)	मुख्यालय ग्वालियर	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश करिष्ठ खण्ड ग्वालियर के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश एवं बाईसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका-1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर) 2. आरक्षी केन्द्र हजीरा, मोहना से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
26.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय विद्युत क्र. 03 ग्वालियर (श्री रोहित सिंह)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर अधिसूचना क्रमांक सी/3055/तीन-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 25.04.2025 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का सांख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक ए/1810 दिनांक 14.04.2022 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर अनुसूची के कॉलम नं. 03 में वर्णित विशेष न्यायालय जिसका गठन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)83/03/21-बी(1)/5846/2018 दिनांक 07.12.2018 द्वारा न्यायिक अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय का पृष्ठांकन क्रमांक बी/1848 तीन-6-4/03 जबलपुर दिनांक 27.05.2024 के द्वारा म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक 20.05.2024 फा. क्रमांक 2172/21-ब(एक)/2024, विद्युत

			अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-5846-2018, दिनांक 07.12.2018 के द्वारा विशेष न्यायालय विद्युत क्रमांक 04 एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उबरा को दिये गये क्षेत्राधिकार को छोड़कर शेष क्षेत्रीय अधिकारिता के तहत उद्भूत समस्त विशेष प्रकरण एवं विविध प्रकरण व कार्यवाहियाँ तथा तत्संबंधी अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. विशेष न्यायालय विद्युत क्रमांक 04, ग्वालियर को छोड़कर अन्य किसी भी विद्युत न्यायालय, ग्वालियर द्वारा पूर्व में पारित विशेष प्रकरणों में विविध कार्यवाहियाँ तथा वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेशों के पालन में आवश्यक कार्यवाहियाँ सम्पादित की जावेंगी। 3. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 4. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
27.	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय विद्युत क्र. 04 ग्वालियर (श्री मनीष कुमार पाटीदार)	ग्वालियर सत्र खण्ड	1. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर अधिसूचना क्रमांक ए/2854 तीन-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 10.04.2024 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का सांख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर अनुसूची के कॉलम नं. 03 में वर्णित विशेष न्यायालयों जिनका गठन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)83/03/21-बी(1)/5846/2018ए दिनांक 07.12.2018 द्वारा न्यायिक अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय का पृष्ठांकन क्रमांक बी/1848 तीन-6-4/03 जबलपुर दिनांक 27.05.2024 के द्वारा म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक 20.05.2024 फा. क्रमांक 2172/21-ब(एक)/2024, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-5846-2018, दिनांक 07.12.2018 के द्वारा सिविल जिला ग्वालियर का उत्तर संभाग, दक्षिण संभाग, गोल पहाड़िया एवं शिंदे की छावनी के तहत उद्भूत समस्त विशेष प्रकरण एवं विविध प्रकरण व कार्यवाहियाँ तथा तत्संबंधी अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।

28.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (श्री प्रशांत पाण्डेय)	मुख्यालय ग्वालियर	1. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/1816 (एस.टी.एफ.) तीन-6-5/14 जबलपुर, दिनांक 14.04.2022 के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल द्वारा अनुसंधान में लिये गये जिला ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ। 2. नगर पालिका अधिनियम, 1956 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य समस्त अपीलें। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले। 5. ऐसे समस्त आपराधिक प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय हैं और जिनका इस कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र उल्लेख नहीं है।
29.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड (श्रीमती रूपाली उईके)	मुख्यालय ग्वालियर	1. म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1130-1292582-2023-50-2 भोपाल दिनांक 30.05.2023 किशोर न्याय (बालको की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर का पृ.क्र. ए/3091 (जेजेबी)/जबलपुर/तीन-6-4/72-ग्यारह जबलपुर दिनांक 26.05.23 2. पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ।
30.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री सक्षम नरुला)	मुख्यालय ग्वालियर	1. मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना भोपाल दिनांक 27.06.2025 फा.क्रमांक 2730/21-ब(एक) /2025 कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 (2016 का 4) की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राजस्व जिले ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, राजगढ़, अशोक नगर अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामूली आरंभिक सिविल आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रकरण। 2. रु. 80,00,001/- (अस्सी लाख एक) से रुपये 85,00,000/- (पिच्चयासी लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
31.	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री जितेन्द्र सिंह परमार)	मुख्यालय ग्वालियर	1. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक सी/2941(रेलवे)/तीन-6-3/57-नवम जबलपुर दिनांक 22.04.25 के द्वारा ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़,

			छतरपुर, सागर, विदिशा, भोपाल, दमोह, सतना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, सीधी, रीवा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, राजगाढ़ और सीहोर क्षेत्र में रेलवे भूमि पर होने वाले अपराधों का संज्ञान लिये जाने वाले मामलों का विचारण।
32.	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (सुश्री सोनल सिंह जादौन)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रु. 5,00,001/- (पांच लाख एक) से रुपये 15,00,000/- (पंद्रह लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
33.	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (सश्री वर्षा भलावी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रुपये 40,00,001/- (चालीस लाख एक) से रुपये 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले रुपये 500/- तक की सीमा के लघुवाद तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
34.	सप्तम व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्रीमती संजू नितीश तिवारी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. म.प्र.उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक-ए/ 2859/ तीन-6 -2/18 जबलपुर दिनांक 24.04.2025 के द्वारा एम.पी./एम.एल.ए. से संबंधित ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. रुपये 15,00,001/- (पंद्रह लाख एक) से रुपये 20,00,000/- (बीस लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
35.	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (सुश्री शिवानी सैनी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रुपये 50,00,001/- (पचास लाख एक) से रुपये 60,00,000/- (साठ लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले।

			2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
36.	नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्रीमती नुरुन निशा अंसारी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रुपये 60,00,001/- (साठ लाख एक) से रुपये 70,00,000/- (सत्तर लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
37.	दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (कृ. मिनाक्षी रावत)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रुपये 70,00,001/- (सत्तर लाख एक) से रुपये 80,00,000/- (अस्सी लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
38.	एकादशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री मो0 नियामत हुसैन रजवी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. म.प्र. उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन क्रमांक सी/ 8349/ तीन- 10-40 /78 जबलपुर, दिनांक 03.12.2024 के अनुसार आर्थिक अपराधों से संबंधित कार्यवाहियाँ जो कि ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, टीकमगढ़ क्षेत्र से उद्भूत हो। 2. रुपये 20,00,001/- (बीस लाख एक) से रुपये 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले। 5. ऐसे समस्त सिविल प्रकरण एवं कार्यवाहियाँ जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय हैं और जिनका इस कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र उल्लेख नहीं है।

39.	द्वादशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (सुश्री रूपल गुप्ता)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रु. 85,00,001/- (पिच्चासी लाख एक) से रुपये 90,00,000/- (नब्बे लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
40.	त्रयोदशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री विजय पाल सिंह चौहान)	मुख्यालय ग्वालियर	1. म.प्र. उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन क्रमांक ए/2863/तीन-6-5 /14 जबलपुर, दिनांक 24.04.2025 के अनुसार म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं, जिनकी विवेचना सीबीआई, स्पेशल टास्क फोर्स, स्थानीय थानों द्वारा की जा रही हो, से उद्भूत विविध आपराधिक कार्यवाहियाँ जो कि ग्वालियर, टीकमगढ़, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर से उद्भूत हो। 2. रु. 25,00,001/- (पच्चीस लाख एक) से रुपये 30,00,000/- (तीस लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
41.	पंद्रहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री भूपेंद्र सिंह)	मुख्यालय ग्वालियर	1. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर से पृष्ठांकन क्रमांक ए/3088/दो-15-18/2001 दिनांक 06.06.2025 के साथ प्राप्त म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना फा0 क्रमांक 2370/21-ब(1)/2025, भोपाल दिनांक 28.05.2025 के अनुसार ग्राम न्यायालय ग्वालियर के क्षेत्राधिकार के राजस्व मुख्यालय ग्वालियर के क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उद्भूत ग्राम न्यायालय ग्वालियर के क्षेत्राधिकार के सिविल तथा आपराधिक प्रकरण। 2. ग्राम न्यायाधिकारी ग्वालियर द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण, साम्प्रतिक वाद निष्पादन कार्यवाही में किराया जमा करने और निकालने संबंधी आवेदन पत्र तथा अन्य आवश्यक कार्यवाहियाँ एवं वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले सिविल तथा आपराधिक प्रकरणों में निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाहियाँ संपादित करेंगे। 3. उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत (धारा 264 से 302 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियों को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार वाले अन्य प्रकरण तथा निराकृत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के मामलों में प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यवाहियाँ एवं अन्य विविध कार्यवाहियाँ।

			4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 5. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
42.	सोलहवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री निशांत मिश्रा)	मुख्यालय ग्वालियर	1. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/2853/तीन-6-6/64 जबलपुर दिनांक 24.04.2025 के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (क्रमांक 37 सन् 1954) तथा मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों का विचारण। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।
43.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर के अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती प्रियंका मालपानी राठी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ।
44.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री राकेश कुमार मरावी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रु. 30,00,001/- (तीस लाख एक) से रुपये 40,00,000/- (चालीस लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
45.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (श्रीमती पूर्णिमा कोठे राजन)	मुख्यालय ग्वालियर	1. रुपये 90,00,001/- (नब्बे लाख एक) से रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
46.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री अतुल यादव)	मुख्यालय ग्वालियर	1. वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। (विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 39 में अंकित नोट अनुसार) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत

			मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
47.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्रीमती हर्षिता सोनी)	मुख्यालय ग्वालियर	1. वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। (विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 39 में अंकित नोट अनुसार) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
48.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री हर्ष वर्धन धाकड़)	मुख्यालय ग्वालियर	1. वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। (विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 39 में अंकित नोट अनुसार) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
49.	षष्ठम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (सुश्री फाल्गुनी शर्मा)	मुख्यालय ग्वालियर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ।
50.	सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री कुणाल वर्मा)	मुख्यालय ग्वालियर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ।
51.	अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री मानवेन्द्र सिंह यादव)	मुख्यालय ग्वालियर	1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ।
52.	नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री विवेक सिंह राजन)	मुख्यालय ग्वालियर	1. वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। (विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 39 में अंकित नोट अनुसार) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
53.	द्वादशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री अमन सुलिया)	मुख्यालय ग्वालियर	1. वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। (विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 39 में अंकित नोट अनुसार) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ।

[illegible]

[illegible]

64.	चौबीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (सुश्री दिव्यांशी मंडराई)	मुख्यालय ग्वालियर	1. वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। (विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 39 में अंकित नोट अनुसार) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
65.	पच्चीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर (श्री निशांत बासोया)	मुख्यालय ग्वालियर	1. वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। (विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 39 में अंकित नोट अनुसार) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
66.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (सुश्री मधुलिका खत्री)	मुख्यालय ग्वालियर	1. वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। (विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 39 में अंकित नोट अनुसार) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
67.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (सुश्री स्वाति शर्मा)	मुख्यालय ग्वालियर	1. वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। (विभाजन पत्रक के पृष्ठ क्रमांक 39 में अंकित नोट अनुसार) 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
तहसील डबरा			
68.	प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर (श्रीमती ज्योति राजपूत)	सत्रखण्ड ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1. म.प्र.उच्च न्यायालय के अधिसूचना क्रं ए/4013/तीन-6-4/81 जबलपुर दिनांक 14.07.2023 के अनुसार म.प्र. डकैती तथा व्यपहरण क्षेत्र प्रभावित अधिनियम 1981 के अंतर्गत ग्वालियर सत्र खण्ड के अधीन पुलिस थाना डबरा, पिछोर, आंतरी, बिलौआ, गिजौरा, भितरवार, बेलगढा करिया, चीनोर, के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण तथा उक्त अधिनियम के उपरोक्त थाना क्षेत्रों के निराकृत प्रकरणों में फरारी से उपस्थित

			होने वाले आरोपीगण के व अन्य प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पत्रों की सुनवाई तथा उक्त प्रकरणों में नियमित आगामी सुनवाई करेंगे तथा वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले ऐसे समस्त विशेष प्रकरणों में निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे। 2. तहसील डबरा स्थित न्यायिक एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, अपील, पुनरीक्षण आदि मामले उक्त न्यायालय को स्वयमेव अंतरित माने जावेंगे तथा पश्चात उनका केन्द्रीय पंजीयन सत्र न्यायालय में कराया जावेगा। 3. तहसील भितरवार थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले थाना भितरवार, बेलगढा, चीनौर, के संबंध में अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 4. तहसील डबरा थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र शहर डबरा, आंतरी, बिलौआ, के संबंध में अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 5. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 6. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
68 (अ).	प्रथम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर (श्रीमती ज्योति राजपूत)	ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1. रु. 4,00,00,001/- (चार करोड़ एक) से अधिक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले रुपये 501/- से 1000/- तक की सीमा के लघुवाद तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डबरा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डबरा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भितरवार (रिक्त न्यायालय), व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भितरवार (रिक्त न्यायालय) के न्यायालयों से उत्पन्न सिविल तथा विविध अपीलें। 4. प्रोबेट, गार्जियन्स एण्ड. वार्डस एक्ट, भरण पोषण, दत्तक अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 5. भारतीय ट्रस्ट अधि. 1982 की धारा 72 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मामले। 6. चेरिटेबल रिलिजियस ट्रस्ट अधि० 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 7. ट्रेड मार्क अधि. 1999 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मामले।

			8. कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले। 9. मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधि. के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 10. भू अर्जन अधि० 1894 के अंतर्गत प्रस्तुत रिफरेंस प्रकरण व उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 11. कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों नगर निगम ग्वालियर की परिसीमा तथा छावनी कन्टोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर तहसील डबरा तथा भितरवार क्षेत्र के हिन्दू विवाह अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1956, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण उनसे संबंधित समस्त विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 12. इसी न्यायालय के पूर्व निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा सीसीडी/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में कमशः किराया/क्षतिपूर्ति की राशि जमा तथा भुगतान संबंधी कार्यवाहियाँ एवं सिविल तथा आपराधिक प्रकरणों में अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्णय/आदेश तथा रिमाण्ड प्रकरणों में आदेश के पालन में आवश्यक कार्यवाहियाँ। 13. प्रोवेशियल इनसाल्वेन्सी अधि. 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले। 14. आरबिट्रेशन तथा कॉंसिलियेशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 34 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त मामले, आवेदन एवं निष्पादन मामले सहित सभी मामले। 15. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 16. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
69.	द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर (श्री कलम सिंह मेड़ा)	सत्रखण्ड ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 2. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
69 (अ).	द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर (श्री कलम सिंह मेड़ा)	ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1. रु. 3,00,00,001/—(तीन करोड़ एक) से रु. 4,00,00,000/—(चार करोड़) तक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डबरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डबरा के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं श्रृंखला न्यायालय कनिष्ठ/वरिष्ठ खण्ड भितरवार के न्यायालयों से उत्पन्न सिविल तथा विविध अपीलें।

			3. आरक्षी केन्द्र गिजौरा, चीनोर, भितरवार, डबरा ग्रामीण, पिछोर से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 5. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
70.	चतुर्थ अति. सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर (श्री विक्रम भार्गव)	सत्र खण्ड ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर अधिसूचना क्रमांक सी/2835/तीन-6-4/2003 जबलपुर दिनांक 24.04.2025 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का सांख्यिक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर अनुसूची के कॉलम नं. 03 में वर्णित विशेष न्यायालय जिसका गठन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)83/03/21-बी(1)/5846/2018 दिनांक 07.12.2018 द्वारा न्यायिक अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय का पृष्ठांकन क्रमांक बी/1848 तीन-6-4/03 जबलपुर दिनांक 27.05.2024 के द्वारा म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल दिनांक 20.05.2024 फा. क्रमांक 2172/21-ब(एक)/2024, विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-5846-2018, दिनांक 07.12.2018 के द्वारा डबरा के विद्युत क्षेत्र के तहत उद्भूत समस्त विशेष प्रकरण एवं विविध प्रकरण व कार्यवाहियाँ तथा तत्संबंधी अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 2. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 3. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।
70 (अ).	चतुर्थ जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर (श्री विक्रम भार्गव)	ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1. रु. 2,00,00,001/- (दो करोड़ एक) से रु. 3,00,00,000/- (तीन करोड़) तक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डबरा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भितरवार, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डबरा (रिक्त न्यायालय) एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डबरा (रिक्त न्यायालय) के न्यायालयों से उत्पन्न सिविल तथा विविध अपीलें।

			3. आरक्षी केन्द्र आंतरी, डबरा सिटी से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 5. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
71.	पंचम अति. सत्र न्यायाधीश डबरा, जिला ग्वालियर {श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (सी.)}	सत्रखण्ड ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1. म.प्र.उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्र. डी/291/तीन-6-6/84 दिनांक 10.01.13 के अनुसार बलात्संग/सामूहिक बलात्संग/हत्या के साथ बलात्संग आदि के मामले एवं इनसे उद्भूत विविध कार्यवाहियाँ। अ. थाना गिजोरा, आंतरी, बिलौआ, पिछोर, डबरा, भितरवार, करहिया, चीनौर तथा बैलगढा एवं तहसील डबरा एवं भितरवार की अधिकारिता के अन्य सभी सेशन खण्ड जिनमें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मामले संबंधित न्यायालय द्वारा अपराध संज्ञान लिए जाने के उपरान्त प्रकरण पंजीकरण हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के न्यायालय की ओर भेजा जावेगा। ब. उक्त मामलों से संबंधित रिमाण्ड कार्यवाही व जमानत आवेदन आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा उनके द्वारा ही उनका निराकरण किया जावेगा। 2. तहसील डबरा एवं भितरवार के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012” से संबंधित समस्त मामले, जमानत आवेदन पत्र एवं समस्त विविध कार्यवाहियाँ। 3. तहसील भितरवार स्थित न्यायिक एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, अपील, पुनरीक्षण आदि मामले उक्त न्यायालयों को स्वयमेव अंतरित माने जावेंगे तथा पश्चात उनका केन्द्रीय पंजीयन सत्र न्यायालय में कराया जावेगा। 4. तहसील भितरवार के अंतर्गत आने वाला थाना करहिया तथा डबरा थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र डबरा देहात, पिछोर एवं गिजोरा के संबंध में अग्रिम/नियमित प्रतिभूति आवेदन पत्र। 5. समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले। 6. उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत आपराधिक मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियाँ/आपराधिक मामले।

71 (अ)	चतुर्थ जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर {श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (सी.)}	ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1. रु. 1,00,00,001 /—(एक करोड़ एक) से रु. 2,00,00,000 /—(दो करोड़) तक के वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भितरवार एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भितरवार के न्यायालयों से उत्पन्न सिविल तथा विविध अपीलें। 3. आरक्षी केन्द्र करहिया, बेलगढ़ा, बिलौआ, डबरा सिटी, चीनोर से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य। 4. अंतरित आवेदन पत्र एवं भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 264 से 302 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियाँ। 5. लोक परिसर (अनाधिकृत अधिपत्य से बेदखली) अधि. 1971 की धारा 9 के अंतर्गत तहसील डबरा तथा भितरवार के प्रस्तुत मामले। 6. म.प्र.नगर पालिका अधि. के प्रावधानों के अंतर्गत अपीले तथा चुनाव याचिकाएँ। 7. धारा 9 अशक्त व्यक्ति (मुआवजा तथा पुर्नवास अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियाँ। 8. म.प्र. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र। 9. तहसील डबरा तथा भितरवार क्षेत्र के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे सभी प्रकरण तथा अपीलें जिनका उल्लेख कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है। (प्रधान जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) 10. इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा सीसीडी/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में क्रमशः किराया/क्षतिपूर्ति की राशि जमा तथा भुगतान संबंधी कार्यवाहियाँ एवं सिविल तथा आपराधिक प्रकरणों में अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्णय/आदेश तथा रिमाण्ड प्रकरणों में आदेश के पालन में आवश्यक कार्यवाहियाँ। 11. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। 12. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले
-----------	--	------------------------------------	---

72.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा (श्रीमती सृष्टि बी. शाह)	तहसील डबरा	1. रु. 30,00,001/- (तीस लाख एक) से रुपये 50,00,000/- (पचास रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले रुपये 500/- तक की सीमा के लघुवाद तथा उससे उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियाँ। 3. नगर पालिका डबरा की नगर पालिका अधिनियम के तहत अपील। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 5. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
73.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा (श्री यश कुमार सिंह)	तहसील डबरा	1. उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर से पृष्ठांकन क्रमांक ए/3088/दो-15-18/2001 जबलपुर दिनांक 06.06.2025 के साथ प्राप्त म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना फा. क्रमांक 2370/21-ब (एक)/2025 भोपाल, दिनांक 28.05.25 के अनुसार ग्राम न्यायालय डबरा के क्षेत्राधिकार के राजस्व मुख्यालय ग्वालियर के क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पंचायतों से उदित ग्राम न्यायालय डबरा के क्षेत्राधिकार के सिविल तथा आपराधिक मामले। 2. रु. 50,00,001/- (पचास लाख एक रुपये) से रुपये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 3. तहसील डबरा के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे प्रकरण, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 5. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
74.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा (श्रीमती आयुषी अग्रवाल)	तहसील डबरा	1. रु. 20,00,001/- (बीस लाख एक) से रुपये 30,00,000/- (तीस लाख) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के मामले। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने

			वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
75.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा के अतिरिक्त न्यायाधीश (श्री देवांश अग्रवाल)	तहसील डबरा	1. रु. 5,00,001/- (पांच लाख एक) से रुपये 20,00,000/- (बीस लाख) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 3. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
76.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा (कु. राजेश्वरी जर्मन)	तहसील डबरा	1. रु. 1/- (एक रुपये) से रुपये 5,00,000/- (पांच लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. तहसील डबरा के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे प्रकरण, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
तहसील भितरवार			
77.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भितरवार (श्रीमती पूनम कटारिया)	तहसील भितरवार	1. रु. 50,00,001/- (पचास लाख एक रुपये) से रु. 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ, एवं निष्पादन मामले। 2. लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले लघुवाद रु. 500/- (पांच सौ) तक की सीमा के हों तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामले। 3. उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले। 4. नगर पालिका भितरवार की नगर पालिका अधिनियम के तहत अपीलें। 5. तहसील भितरवार के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है।

			6. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 7. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
78.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भितरवार (श्री संजय जैन)	तहसील भितरवार	1. रु. 5,00,001/- (पाँच लाख एक रुपये) से रु. 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. लिंक कोर्ट के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, भितरवार द्वारा पूर्व में निराकृत साम्प्रतिक वाद से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ, किराया जमा, तथा भुगतान संबंधी कार्यवाहियाँ एवं वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेश के पालन में कार्यवाहियों का संपादन। 3. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 4. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
79.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भितरवार (श्री पंकज गोंडू भालेराव)	तहसील भितरवार	1. रु. 1/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियाँ एवं निष्पादन मामले। 2. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भितरवार द्वारा पूर्व में निराकृत साम्प्रतिक वाद से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ, किराया जमा तथा भुगतान संबंधी कार्यवाहियाँ एवं वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेश के पालन में कार्यवाहियों का संपादन। 3. तहसील भितरवार के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है। 4. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियाँ। 5. उपरोक्त सभी प्रकरणों से एवं इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियाँ तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।

नोट :-

1. मुख्यालय, ग्वालियर में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को सुविधा की दृष्टि से नये दावों के संबंध में स्थाई वादमूल्य के प्रकरणों को सुनवाई के क्षेत्राधिकार न देते हुए चलित रूप से वादमूल्य के प्रकरणों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया जा रहा है जो कि निम्नानुसार है :-

टीप - निम्नांकित न्यायालयों में से यदि कोई न्यायालय उसके नवीन दावे पेश होने के माह में रिक्त होता है या लंबी अवधि के अवकाश (मातृत्व, संतान पालन आदि) पर होता है तब ऐसे न्यायालय के वादमूल्य संबंधी नवीन दावे वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के यहां पेश होकर सुनवाई में लिए जाएंगे :-

स. क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु. क.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है।	माह
1	2	3	4	5	6
1	श्री अतुल यादव, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	जनवरी
2	श्रीमती हर्षिता सोनी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	फरवरी
3	श्री हर्ष वर्धन धाकड़ तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	मार्च
4	श्री विवेक सिंह राजन, नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	अप्रैल
5	सुश्री पारूल गोहिया, तेईसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	मई एवं जून
6	श्री अमन सुलिया, द्वादशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	जुलाई
7	सुश्री अर्पिता त्रिपाठी, पंद्रहवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	अगस्त
8	सुश्री मानसी बालूजा, सत्रहवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	सितम्बर
9	सुश्री अदिति कैथवास उन्नीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	अक्टूबर
10	श्री निशांत बसोया पच्चीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	नवम्बर
11	सुश्री स्वाति प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर के द्वितीय अति. न्यायाधीश	मुख्यालय ग्वालियर		रु. 01/- (एक रुपये) से रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) तक	दिसम्बर

नोट :-

1-अ. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में -

जिला मुख्यालय पर पदस्थ विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज, ग्वालियर एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। (वरिष्ठतम से तात्पर्य इस न्यायिक जिला मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वरिष्ठता क्रम से होगा)

1-ब. ऐसे पश्चातवर्ती जमानत आवेदन, जिनसे संबंधित पूर्ववर्ती जमानत आवेदन का निराकरण पूर्व में किसी अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया है, या उसी अपराध से संबंधित नवीन जमानत आवेदन पत्र है, ऐसे जमानत आवेदन को उस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर विधि अनुसार निराकरण हेतु स्वयमेव अंतरित समझा जाएगा, जिनके द्वारा पूर्ववर्ती जमानत आवेदन का निराकरण किया गया है।

स्पष्टीकरण :-

1. ऐसे पूर्ववर्ती जमानत आवेदन का निराकरण करने वाले सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने की दशा में ऐसे जमानत आवेदन का निराकरण उनके प्रभार वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रभारी न्यायाधीश की हैसियत से किया जायेगा।
2. सत्र न्यायाधीश के एक से अधिक दिवस के लिए अवकाश/टूर/ट्रेनिंग पर रहने की दशा में ओ.ए.डब्ल्यू. व्यापम से संबंधित अभियोग पत्र (किसी भी एजेंसी द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर) एवं विशेष अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन प्रभारी अति. सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित माने जावेंगे तथा प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदनों का निराकरण विभिन्न कार्यदिवस में निम्नानुसार किया जावेगा :-

सोमवार	: श्री ऋतुराज सिंह चौहान, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर
मंगलवार	: श्री अनुज कुमार मित्तम, द्वादशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
बुधवार	: श्री विवेक कुमार, षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
गुरुवार	: श्री साबिर अहमद खान, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
शुक्रवार	: श्री नवनीत कुमार वालिया, इक्कीसवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
शनिवार	: श्री आत्माराम टांक, नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यदिवस में न्यायालयों को प्राप्त होने वाले जमानत आवेदन उस न्यायालय को अन्तिम रूप से अन्तरित समझे जायेंगे।
4. उपरोक्तानुसार न्यायाधीशगण में से किसी न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उनका न्यायालय रिक्त होने की दशा में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभारी न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदनों का निराकरण प्रभारी की हैसियत से किया जावेगा।

2. फाईलिंग के पश्चात् जिस न्यायालय में प्रकरण सुनवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा, उसी न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की जावेगी अथवा उस न्यायालय के अवकाश पर होने पर कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार प्रभारी न्यायालय द्वारा अतिआवश्यक कार्यवाही या सुनवाई की जावेगी।
3. यह आदेश जिस दिनांक से प्रभावशील होगा, उसके पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय में पूर्व से लंबित हैं या प्रस्तुत हुए हैं, उन पर इस कार्यविभाजन आदेश से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
4. तहसील डबरा तथा भितरवार क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र से उद्भूत होने वाले ऐसे सत्र प्रकरण जिनमें सीधे चालान लेने का प्रावधान नहीं है, सत्र न्यायालय को उपापित किये जायेंगे और इस दौरान आरोपी की औपचारिक उपस्थिति का स्थान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा का न्यायालय होगा और उनके द्वारा ही सत्र प्रकरण अन्तरित होकर संबंधित न्यायालय को प्राप्त होने तक उपस्थिति हेतु आगामी तिथि नियत की जा सकेगी। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा के अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में प्रभार डबरा में पदस्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर बढ़ते क्रम में रहेगा और उनके द्वारा कार्यवाही संपादित की जावेगी।
5. ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश अवधि में आवश्यक प्रकृति के वाद तथा आवेदन पत्रों को ग्राह्य एवं निराकृत करने की कार्यवाही संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा की जावेगी और यदि संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हैं या अन्यथा न्यायालय रिक्त है, तब उक्त न्यायालय के प्रभारी न्यायालय द्वारा ऐसा अतिआवश्यक कार्य संपादित किया जा सकेगा।
6. जिला मुख्यालय स्थापना पर सभी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हों या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर** द्वारा संपादित किये जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार सत्रहवे जिला न्यायाधीश पर रहेगा। उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढ़ते क्रम में प्रभार रहेगा। **पंचम जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा।** मात्र आकस्मिक परिस्थिति में प्रभारी न्यायालय तभी भुगतान का आदेश कर सकेगा, जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।

7. **फास्ट ट्रैक कोर्ट ग्वालियर** से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियाँ उक्त न्यायालय के पदनाम से वर्तमान में नियमित न्यायालय द्वारा संपादित की जाएंगी तथा उक्त नियमित न्यायालय यदि रिक्त है अथवा विशेष न्यायालय होने पर उक्त न्यायालय से संबंधित कार्य, वर्तमान में मुख्यालय ग्वालियर में **रिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय** एवं **ऐसे रिक्त जिला न्यायालय जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है, से संबंधित कार्य तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर** के द्वारा संपादित किया जाएगा। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार **चतुर्थ जिला न्यायाधीश** पर रहेगा तथा उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार बढ़ते कम में रहेगा। **तृतीय जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रभारी न्यायालय पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्चार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**
8. मुख्यालय ग्वालियर पर पॉक्सो एक्ट से संबंधित विशेष न्यायालय जिन्हें सिविल का कार्य नहीं दिया गया है उनके सिविल एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियाँ **तेईसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर** द्वारा संपादित किए जाएंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार **द्वादशम् जिला न्यायाधीश** पर रहेगा। उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढ़ते कम में प्रभार रहेगा। **तेईसवे जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्चार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**
9. मुख्यालय ग्वालियर पर ओ.ए.डब्ल्यू (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) से संबंधित विशेष न्यायालय जिन्हें सिविल का कार्य नहीं दिया गया है उनके सिविल एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियाँ **अष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर** द्वारा संपादित किए जाएंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार **नवम् जिला न्यायाधीश** पर रहेगा, उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढ़ते कम में प्रभार रहेगा। **अष्टम् जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्चार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**
10. **प्रथम जिला न्यायालय, ग्वालियर** को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विशेष न्यायालय होने के कारण व्यवहार वाद से संबंधित कार्य नहीं दिया गया है किंतु उन्हें नियमित सिविल अपील एवं क्लेम से संबंधित प्रकरण सुनवाई हेतु दिये गये हैं, इस कारण क्लेम से संबंधित इजरा, एम.जे.सी. प्रकरण की सुनवाई **प्रथम जिला न्यायालय, ग्वालियर** द्वारा ही की जावेगी एवं क्लेम प्रकरणों के भुगतान संबंधी कार्य भी किया जावेगा। प्रथम जिला न्यायाधीश के उपरोक्त के अलावा सिविल प्रकरण से संबंधित **सभी मामले एवं कार्यवाहियाँ पन्द्रहवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर** द्वारा संपादित किए जाएंगे, उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढ़ते कम में प्रभार रहेगा। **किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्चार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**
11. जिला मुख्यालय पर **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **त्रयोदशम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर** द्वारा संपादित किये जाएंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार बढ़ते हुए कम में रहेगा।

- [illegible]

प्रकरण उक्त न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाकर बढ़ते कम में (विशेष न्यायालय को छोड़कर) आगामी न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

26. माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के नाम से प्राप्त होने वाले आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर के न्यायालय में प्राप्त कर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाएंगे।
27. "समस्त प्रकरण" से तात्पर्य दावा, विविध प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, अन्य विविध आवेदन, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरण एवं कार्यवाहियों से है।
28. फास्ट ट्रेक कोर्ट तहसील डबरा से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियाँ उक्त न्यायालय के पदनाम से वर्तमान में नियमित न्यायालय द्वारा संपादित की जाएंगी तथा उक्त नियमित न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालय से संबंधित कार्य **प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा** द्वारा संपादित किया जाएगा।
29. व्यवहार प्रकरणों में किसी भी न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के आवेदन पत्र का निराकरण किया गया हो, यदि वह प्रकरण वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय के आदेश की **अवमानना** की कार्यवाही भी उसी न्यायालय में चलेगी जिस न्यायालय में वह प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है।
30. पंजीयन लिपिक, केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय, जिला न्यायालय ग्वालियर मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों की फाईलिंग के संबंध में **क्षेत्राधिकार का आधार (दुर्घटना मुख्यालय ग्वालियर के थाना क्षेत्रांतर्गत हो/आवेदक संबंधित थाना क्षेत्र का निवासी हो या कारोबार करता हो/अनावेदकगण का निवासी या बीमा कंपनी का मुख्यालय संबंधित थाना क्षेत्रांतर्गत हो)** जाँच करने के उपरांत ही फाईलिंग सम्पादित करें।
31. परिवार न्यायालय के न्यायिक अधिकारी के एक साथ अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने की स्थिति में उनके न्यायालयों से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति का कार्य संपादन हेतु **द्वादशम जिला न्यायाधीश, ग्वालियर** को मनोनीत किया जाता है, उनके अवकाश पर रहने पर अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में **तेईसवे जिला न्यायाधीश, ग्वालियर** द्वारा संपादित किया जायेगा। उनके भी अवकाश अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में बढ़ते हुये कम में उपस्थित न्यायिक अधिकारी द्वारा संपादित किया जायेगा।

(ललित किशोर)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.)

विविध आदेश

क्रमांक 176 / एक-11-1 / कार्य.वि.प. / 2019

ग्वालियर, दिनांक : 14-08-2025

प्रशासनिक कार्य सुविधा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक अधिकारियों के अवकाश काल में आवश्यक कार्य प्रभार निम्नानुसार होगा। यह विविध आदेश दिनांक 18.08.2025 से प्रवृत्त होगा।

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के अवकाश पर रहने पर उक्त न्यायालय से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एवं उनकी अनुपस्थिति में मुख्यालय पर पदस्थ वरिष्ठतम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे।
2. माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर के अधिसूचना क्रमांक सी/2264/तीन-6-3/89 जबलपुर दिनांक 14.09.2020 के परिप्रेक्ष्य में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) ग्वालियर के अवकाश पर रहने पर उक्त न्यायालय से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे। इसी प्रकार माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्र. सी/2262/तीन-6-3/89 दिनांक 14.09.2020 विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) ग्वालियर के अवकाश पर रहने पर उक्त न्यायालय से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे। इसी प्रकार विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार अधिनियम, ग्वालियर के अवकाश पर रहने पर उक्त न्यायालय से संबंधित उक्त न्यायालय के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे, उनके अवकाश पर रहने पर मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के द्वारा संपादित किये जायेंगे।
4. भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष न्यायालय क्रमांक 01 (बाईसवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) एवं भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष न्यायालय क्रमांक 02 (पन्द्रहवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) के यहां लंबित भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों का चार्ज एक-दूसरे न्यायालय पर रहेगा, दोनों न्यायालय के एकसाथ अवकाश पर रहने पर भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष न्यायालय

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर रहेगा तथा प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर बढ़ते हुये कम में जो भी अधिकारी उपस्थित होगा उस पर रहेगा।

5. **विशेष न्यायालय व्यापम (अष्टम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश)** के अवकाश काल में व्यापम के प्रकरणों का प्रभार **नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश** पर रहेगा। नवम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर बढ़ते हुये कम में जो भी अधिकारी उपस्थित होगा उस पर रहेगा।
6. **विशेष न्यायालय एम.पी./एम.एल.ए. (तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश)** के अवकाश काल में एम.पी./एम.एल.ए. के प्रकरणों का प्रभार **उन्नीसवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर** पर रहेगा। उन्नीसवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर बढ़ते हुये कम में जो भी अधिकारी उपस्थित होगा उस पर रहेगा।
7. **विशेष न्यायालय कं. 3 (विद्युत अधिनियम) एवं विशेष न्यायालय कं. 4 (विद्युत अधिनियम), ग्वालियर** के प्रकरणों का चार्ज एक दूसरे पर रहेगा। दोनों पीठासीन अधिकारीगण के एक साथ अवकाश पर रहने या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त अधिनियम से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य **प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश** द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे और प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर बढ़ते हुये पदक्रम में जो भी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहेगा, पर होगा।
8. **विशेष न्यायाधीश, डकैती एवं व्यवहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, ग्वालियर** के किसी भी न्यायाधीश के अवकाशकाल में अथवा अन्यथा अनुपस्थित होने पर विशेष न्यायालय **डकैती एवं व्यवहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम** के प्रकरणों का प्रभार **विशेष न्यायाधीश, डकैती एवं व्यवहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, ग्वालियर** पर बढ़ते कम में रहेगा एवं उक्त समस्त (वर्तमान में तीन) न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण के एक साथ अवकाश पर रहने या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त अधिनियमों से संबंधित अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य मुख्यालय पर उपस्थित **वरिष्ठतम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर को छोड़कर)** द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।

9. मुख्यालय ग्वालियर पर **पॉक्सो एक्ट** से संबंधित दो विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, अवकाशकाल में प्रभार एक-दूसरे पर रहेगा तथा दोनों न्यायालय के एक साथ अवकाश पर होने पर प्रभार विशेष न्यायालय **ओ.ए.डब्ल्यू.** पर बढ़ते कम में रहेगा। समस्त विशेष न्यायालय पॉक्सो एवं ओ.ए.डब्ल्यू. के एक साथ अवकाश पर रहने पर प्रभार मुख्यालय पर उपस्थित **वरिष्ठतम अति. सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर को छोड़कर)** पर रहेगा।
10. मुख्यालय ग्वालियर पर **ओ.ए.डब्ल्यू.** (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) से संबंधित दो विशेष न्यायालय कार्यरत हैं, अवकाशकाल में प्रभार एक-दूसरे पर रहेगा तथा दोनों न्यायालय के एक साथ अवकाश पर होने पर प्रभार विशेष न्यायालय **पॉक्सो** पर बढ़ते कम में रहेगा। समस्त विशेष न्यायालय **ओ.ए.डब्ल्यू.** एवं **पॉक्सो** के एक साथ अवकाश पर रहने पर प्रभार मुख्यालय पर उपस्थित **वरिष्ठतम अति. सत्र न्यायालय (विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर को छोड़कर)** पर रहेगा।
11. समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, **डबरा** के एक साथ अवकाश पर रहने या अन्यथा अनुपस्थित रहने की दशा में उक्त न्यायालय के अतिआवश्यक प्रकृति का कार्य मुख्यालय ग्वालियर पर उपस्थित **प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर** द्वारा और उनकी अनुपस्थिति की दशा में क्रमानुसार प्रभार वाले जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जायेगा।
12. सूचीबद्ध प्रकरण एवं 05 वर्ष या उससे अधिक पुराने साम्प्रतिक प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर रहने पर संबंधित इंचार्ज न्यायाधीश से हस्ताक्षर कराये जावे।
13. मुख्यालय ग्वालियर/तहसील डबरा पर पदस्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशगण के अवकाशकाल में उनका प्रभार बढ़ते कम में रहेगा तथा अंतिम कम के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तक पहुंचने के पश्चात् प्रभार पुनः प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से प्रारंभ होकर बढ़ते कम में रहेगा।

नोट -

अ. यदि किसी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास विशेष न्यायालय होने से या अन्य किसी कारण से सिविल का कार्य नहीं है तथा बढ़ते क्रमानुसार उनके पास

किसी का सिविल का प्रभार आता है तो उक्त सिविल का प्रभार उनके पास न होकर बढ़ते क्रम में ही उनके आगामी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर समझा जावेगा।

ब. अन्यथा उपबंधित न होने पर विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज, ओ.ए.डब्ल्यू, पॉक्सो एवं विद्युत पर बढ़ते क्रम में किसी अन्य का सिविल अथवा आपराधिक का प्रभार आने पर उक्त प्रभार उनके पास न होकर बढ़ते क्रम में उनके आगामी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर समझा जावेगा।

14. मुख्यालय ग्वालियर/तहसील डबरा एवं भितरवार पर पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के अवकाशकाल में उनका सिविल का प्रभार बढ़ते क्रम में रहेगा तथा अंतिम क्रम के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड तक पहुंचने के पश्चात् प्रभार पुनः पदक्रमानुसार प्रारंभ होकर बढ़ते क्रम में रहेगा। यदि किसी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के पास विशेष न्यायालय होने से या अन्य किसी कारण से सिविल का कार्य नहीं है तथा बढ़ते क्रमानुसार उनके पास किसी का सिविल का प्रभार आता है तो उक्त सिविल का प्रभार उनके पास न होकर बढ़ते क्रम में ही उनके आगामी व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड पर समझा जावेगा।

15. मुख्यालय ग्वालियर/तहसील डबरा एवं भितरवार पर पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के अवकाशकाल में उनका सिविल का प्रभार बढ़ते क्रम में रहेगा तथा अंतिम क्रम के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड तक पहुंचने के पश्चात् प्रभार पुनः पदक्रमानुसार प्रारंभ होकर बढ़ते क्रम में रहेगा। यदि किसी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पास विशेष न्यायालय होने से या अन्य किसी कारण से सिविल का कार्य नहीं है तथा बढ़ते क्रमानुसार उनके पास किसी का सिविल का प्रभार आता है तो उक्त सिविल का प्रभार उनके पास न होकर बढ़ते क्रम में ही उनके आगामी व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पर समझा जावेगा।

नोट: बढ़ते क्रम से तात्पर्य पदक्रमानुसार निम्नानुसार है :-

अ. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर पर

1. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
2. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश
3. विशेष न्यायाधीश विद्युत

ब. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड स्तर पर

1. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
2. अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड

स. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड स्तर पर

1. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
2. अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड

16. (अ) तहसील डबरा स्थित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारी के अवकाश काल अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में उक्त न्यायालय से संबंधित आवश्यक प्रकृति का कार्य का प्रभार तहसील डबरा स्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा द्वारा संपादित किया जावेगा।

(ब) तहसील डबरा स्थित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारी के अवकाश काल अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में उक्त न्यायालय से संबंधित आवश्यक प्रकृति का कार्य का प्रभार तहसील भितरवार स्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भितरवार द्वारा संपादित किया जावेगा।

(स) तहसील भितरवार स्थित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारी के अवकाश काल अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में उक्त न्यायालय से संबंधित आवश्यक प्रकृति का कार्य का प्रभार तहसील भितरवार स्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा संपादित किया जावेगा।

(द) तहसील भितरवार स्थित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालयों के सभी पीठासीन अधिकारी के अवकाश काल अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में उक्त न्यायालय से संबंधित आवश्यक प्रकृति का कार्य का प्रभार तहसील डबरा स्थित वरिष्ठतम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा संपादित किया जावेगा।

ललित किशोर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर
14 AUG 2025